

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक:- प.10(8)नविवि/3/97


जयपुर, दिनांक :- 13/01/2022

**अधिसूचना**

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 22.11.2012 द्वारा अधिसूचित नाथद्वारा के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर पालिका, नाथद्वारा की मण्डल बैठक दिनांक 27.01.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में नाथद्वारा मास्टर प्लान-2031 के भू-उपयोग योजना मानचित्र के पार्ट प्लान में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त संशोधित नाथद्वारा मास्टर प्लान-2031 के संशोधित भू-उपयोग योजना मानचित्र के पार्ट प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, नाथद्वारा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

  
13/1/2022  
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, राजसमन्द।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका नाथद्वारा, राजसमन्द।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर जोन, उदयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालवी।

//  
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय